न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –78/2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024/219

1. मुरलीशंकर आत्मज श्री रामरतन पांचाल जाति लुहार निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. कमलीशंकर आत्मज श्री रामरतन पांचाल जाति लुहार निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 18.10.2024 (निरस्तीकरण शुद्वि पत्र) सपठित नामान्तरकरण सं0 1185 दिनांक 30.08.2024 तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति
1. श्री धनराज नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 17.02.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा तकिया में खातेदार रामरतन के नाम खाता संख्या 210 की भूमि का दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 01.08.2024 को स्वीकृत किया गया, नामान्तरकरण में रेस्पेडेन्ट का नाम मुताबिक दानपत्र नहीं होकर छूट जाने से पुनः शुद्विपत्र भरा गया किन्तु उक्त शुद्विपत्र आदेश दिनांक 20.9.2024 से निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात पुनः शुद्विपत्र दिनांक 18.10.2024 को भरा गया जो प्रकरण शुद्विपत्र योग्य नहीं मानकर अपीलीय योग्य माना गया है ।

2. अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1185 आदेश दिनांक 30.08.2024, के शुद्विपत्र दिनांक 18.10.2024 के विरूद्व दिनांक 07.11.2024 को यह अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि ग्राम किशनपुरा तकिया के खसरा नम्बर 155, 151/509, 155/513 किता 3 की रकबा 0.59 हे0 कृषि आराजी का दानपत्र दिनांक 03.06.2024 को श्री रामरतन पांचाल ने मुरलीशंकर व कमलीशंकर के पक्ष में आलेखित कर उपं पंजीयक कोटा–1 के कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया । तत्पश्चात उक्त दान पत्र की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.2024 को नामान्तरकरण संख्या 1185 तस्दीक किया गया, जिसमें केवल सिर्फ मुरलीशंकर का ही नाम दर्ज किया गया जबकि अपीलार्थीगण दोनों का 1/2, 1/2 समान हिस्से में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था । जिसके उपरान्त पटवारी हल्का किशनपुरा की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2024 के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय में शुद्वि पत्र–13 दिनांक 4.9.2024 दर्ज किया गया जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकारण ही दिनांक 20.9.2024 को निरस्त कर दिया गया है, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.10.2024 को उक्त शुद्विपत्र संख्या 13 में शुद्वि करने बाबत पुनः प्रस्तुत किया गया जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को शुद्वि योग्य नहीं मानते हुए अपील योग्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया है, जिसकी पालना में यह अपील प्रस्तुत है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दान पत्र दिनांक 3.6.2024 की पालना में त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.2024 को नामान्तरकरण 1185 तस्दीक करने में भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का की सही रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 4.9.2024 शुद्वि पत्र संख्या 13 दिनांक 20.9.2024 को निरस्त करने में तथा पुनः पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.10.2024 को पेश किये गये शुद्वि पत्र को दिनांक 18.10.2024 को निरस्त करने में भारी भूल की है । रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दोनों अपीलार्थीगण उक्त आराजी ग्राम किशनपुरा तकिया के खसरा नम्बर 155,151/509, 155/513 की कुल 3 किता की 0.59 हे0 के बराबर बराबर हिस्से के अधिकारी है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दान पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 30.8.2024 तस्दीक कर दिया है जो अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 18.10.2024 (निरस्तीकरण शुद्वि पत्र) एवं नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 30.8.2024 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त दान पत्र के आधार पर 1/2, 1/2 बराबर बराबर हिस्से अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि दस्तावेजों के आधार पर जांच कर नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या संख्या 1185 दिनांक 30.08.2024 को स्वीकृत किया गया, नामान्तरकरण में रेस्पेडेन्ट का नाम मुताबिक दानपत्र नहीं होकर छूट जाने से पुनः शुद्विपत्र भरा गया किन्तु उक्त शुद्विपत्र आदेश दिनांक 20.9.2024 से निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात पुनः शुद्विपत्र दिनांक 18.10.2024 से निरस्त किया जाकर शुद्वि पत्र योग्य नहीं मानते हुए अपीलीय योग्य माना जाने पर यह अपील दिनांक 7.11.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद है ।

7. अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दानपत्र दिनांक 3.6.2024 की पालना में दानग्रहिता अपीलांटगण मुरलीशंकर व कमलीशंकर का नाम दर्ज नहीं कर केवल मुरलीशंकर का ही नाम दर्ज किया है जो दानपत्र अनुरूप नहीं होने से शुद्विपत्र–13 भरा गया किन्तु उक्त शुद्वि पत्र तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 20.9.2024 से निरस्त करते हुए पुनः पटवारी एवं आई एल आर की रिपोर्ट के पुनः प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, पटवारी हल्का द्वारा पुनः शुद्वि पत्र भरा गया जिसे आदेश दिनांक 18.10.2024 से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा शुद्विपत्र योग्य नहीं मानते हुए अपीलीय मानते हुए निरस्त कर दिया है । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण सं0 30.08.2024, शुद्विपत्र–13 एवं आदेश दिनांक 18.10.2024 एवं दान पत्र का अवलोकन किया, जिस अनुसार खातेदार रामरतन पांचाल ने उनके खाते की भूमि ग्राम किशनपुरा तकिया के खसरा नम्बर 155,151/509, 155/513 की कुल 3 किता की 0.59 हे0 भूमि अपीलांटगण को रजिस्टर्ड दानपत्र से दान की गई थी, उक्त दान की गई भूमि अपीलांटगण के नाम मुताबिक दानपत्र दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 30.8.2024 में केवल मुरलीशंकर का ही नाम दर्ज किया गया, तथा शुद्वि पत्र–13 भी निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण में हुई त्रुटि को शुद्विपत्र योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया है । जबकि वास्तव में दानपत्र के मुताबिक ही नामान्तरकरण में नाम दर्ज होने चाहिए थे, अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया अनुतोष उचित है, अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 18.10.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहंसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि दानकर्ता एवं दानगृहिता को सुना जाकर यदि दान की गई भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में मुताबिक रजिस्टर्ड दान पत्र के दानगृहिता के पक्ष में विधि अनुरूप नामान्तरकरण की कार्यवाही करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 17.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा